

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

आपराधिक विविध वाद संख्या-51768/2015

कांड संख्या-776 वर्ष-2014 थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना से उद्धृत

=====

1. फरहत वहाब उर्फ फरहत बहाब उर्फ फरहत वहाब, अबुतालाहा की पत्नी, सबैत, थाना-सिलाओ, जिला नालंदा के निवासी।
2. मो. अबुतालाहा उर्फ अब्दुल बहाब, नबी हसन मलिक के पुत्र, सबैत, थाना सिलाओ, जिला नालंदा के निवासी
3. एहसान अहमद उर्फ एहसान मलिक, पुत्र स्वर्गीय साहाबुद्दीन निवासी सबैत, थाना-सिलाओ, जिला नालंदा के निवासी
4. मुसरत वहाब उर्फ नुसरत वहाब उर्फ नुसरत बहाब, पति डॉ. अनवर इमाम, बैतूल, मोसरत शांति बाग, न्यू करीमगंज, थाना, जिला-गया।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. निलोफर शहरयार, पति यूनस वहाब, मोहम्मद शहरयार मुर्तजा की बेटी, निवासी-हारून नगर, सेक्टर-2, घर संख्या 263, पी. एस. फुलवारी शरीफ, जिला-पटना, बिहार।

..... प्रतिवादी/प्रतिवादी गण

=====

के साथ

आपराधिक विविध वाद मिसेलेनियस संख्या 22404/2016

वाद संख्या-776 वर्ष-2014 थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना

=====

1. अब्दुल वहाब, पुत्र-अब्दुल शसिद रोड नंबर 09, न्यू करीमगंज, थाना सिविल लाइन्स, जिला गया के निवासी
2. यूसुफ वहाब अब्दुल वहाब का पुत्र, रोड नंबर 09, न्यू करीमगंज, थाना सिविल लाइन्स, जिला गया के निवासी हैं।
3. फरजाना सामी @ फरजाना शर्मा यूसुफ वहाब की पत्नी रोड नंबर 09, न्यू करीमगंज, थाना सिविल लाइन्स, जिला गया के निवासी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. निलोफर शहरयार, पति यूनस वहाब, मोहम्मद शहरयार मुर्तजा की पुत्री, निवासी हारून नगर, सेक्टर-2 हाउस नं. 263, थाना फुलवारीशरीफ, जिला पटना बिहार।

..... विपक्षी पक्ष/प्रतिवादीगण

=====

आपराधिक प्रक्रिया संहिता-धारा 482-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ हमले और यातना के आरोप-दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 और आई. पी. सी. की धारा 2 के तहत संज्ञान के आदेश को चुनौती दी गई है।(पैरा-1,2) ओ. पी. नं. 2 के पति के दूर के रिश्तेदार याचिकाकर्ताओं का सामान्य और सर्वव्यापी आरोप उन्हें मुकदमे की पीड़ा से गुजरने के लिए

मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है-अतिशयोक्ति के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है-आई. पी. सी. का उद्देश्य एक महिला को उसके पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करना है-लेकिन असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियारों के रूप में उपयोग किया जाता है-संज्ञान के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है। (पैरा-6,7,8)----- (2012) 10 एस. सी. सी. 741, (2010) 7 एस. सी. सी. 667, (2015) 13 एस. सी. सी. 693, (2000) 5 एस. सी. सी. 207, (2014) 8 एस. सी. सी. 273-पर निर्भर थे।

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,
आपराधिक विविध वाद संख्या-51768/2015**

कांड संख्या-776 वर्ष-2014 थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना से उद्धृत

- =====
1. फरहत वहाब उर्फ फरहत बहाब उर्फ फरहत वहाब, अबुतालाहा की पत्नी, सबैत, थाना-सिलाओ, जिला नालंदा के निवासी।
 2. मो. अबुतालाहा उर्फ अब्दुल बहाब, नबी हसन मलिक के पुत्र, सबैत, थाना सिलाओ, जिला नालंदा के निवासी
 3. एहसान अहमद उर्फ एहसान मलिक, पुत्र स्वर्गीय साहाबुद्दीन निवासी सबैत, थाना-सिलाओ, जिला नालंदा के निवासी
 4. मुसरत वहाब उर्फ नुसरत वहाब उर्फ नुसरत बहाब, पति डॉ. अनवर इमाम, बैतूल, मोसरत शांति बाग, न्यू करीमगंज, थाना, जिला-गया।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. निलोफर शहरयार, पति यूनस वहाब, मोहम्मद शहरयार मुर्तजा की बेटी, निवासी-हारून नगर, सेक्टर-2, घर संख्या 263, पी. एस. फुलवारी शरीफ, जिला-पटना, बिहार।

..... प्रतिवादी/प्रतिवादी गण

=====

के साथ

आपराधिक विविध वाद मिसेलेनियस संख्या 22404/2016

वाद संख्या-776 वर्ष-2014 थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना

=====

1. अब्दुल वहाब, पुत्र-अब्दुल शसिद रोड नंबर 09, न्यू करीमगंज, थाना सिविल लाइन्स, जिला गया के निवासी
2. यूसुफ वहाब अब्दुल वहाब का पुत्र, रोड नंबर 09, न्यू करीमगंज, थाना सिविल लाइन्स, जिला गया के निवासी हैं।
3. फरजाना सामी @ फरजाना शर्मा यूसुफ वहाब की पत्नी रोड नंबर 09, न्यू करीमगंज, थाना सिविल लाइन्स, जिला गया के निवासी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. निलोफर शहरयार, पति यूनस वहाब, मोहम्मद शहरयार मुर्तजा की पुत्री, निवासी हारून नगर, सेक्टर-2 हाउस नं. 263, थाना फुलवारीशरीफ, जिला पटना बिहार।

..... विपक्षी पक्ष/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

(आपराधिक विविध वाद संख्या 51768/2015)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सुरेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता,

विरोधी पक्ष/दलों के लिए : श्री अरशद जमील हाशमी, अधिवक्ता,

: श्री कमल किशोर सिंह, अधिवक्ता,

: श्री जे० उपाध्याय, स०लो०अ०

(आपराधिक विविध वाद संख्या 22404 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह, अधिवक्ता,

विरोधी पक्ष/दलों के लिए : श्री मीना सिंह, स.लो.अ

=====

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीख:04-03-2024

(आ० वि० वा० सं० 51768/2015 में)

1. वर्तमान आवेदन फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 776/2014 से उत्पन्न जी. आर. संख्या 7891/2014 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा पारित दिनांक 23.07.2015 के आदेश को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत संज्ञान लिया है।

2. अभियोजन का मामला, विस्तार से वर्णित एक ज्वलंत मामला है, और यह सूचक निलोफर शहरयार की दिनांक 09.12.2014 की टंकण की गई लिखित बयान पर आधारित है, जिसे फुलवारीशरीफ थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि

क) सूचक की शादी पटना में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार योनिस् वहाब के साथ हुई थी और 5 लाख नकद और 5 लाख का सामान दिया गया था, लेकिन शादी के बाद, उसके पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया क्योंकि दहेज के रूप में कोई कार नहीं दी गई थी और वे उसके माता-पिता का मजाक उड़ाते थे।

ख) यह आगे आरोप लगाया जाता है कि उसके दोनों "नानदों" की शादी एक ही कॉलोनी में हुई है और उन्होंने अपने "माइका" में बहुत समय बिताया और वे अन्य लोगों के साथ उसे ताना भी देते हैं। सूचक के ससुर और सास ने आभूषणों को लॉकर में रखने के बहाने गहने अपने कब्जे में ले लिए हैं।

ग) यह आगे आरोप लगाया जाता है कि सूचक का पति दुबई में काम करने वाला एक इंजीनियर है और उसने भी एक कार के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और एक दिन पूरे परिवार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जब उसने पति से यातना की घटना की शिकायत की गई तो उसने कुछ नहीं किया।

घ) यह भी आरोप लगाया गया है कि नवंबर 2010 में सूचक को दुबई ले जाया गया और वहां भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वह गर्भवती हो गई और वह पटना वापस आ गई जहाँ उसने 12.08.2011 को एक लड़की को जन्म दिया लेकिन अस्पताल का खर्च उसके पिता ने वहन किया और उसके पति ने कुछ भी नहीं दिया और जब वह पटना आई तो उसे एक लड़की को जन्म देने के लिए ताना मारा गया और परिवार के सदस्यों ने कहा कि वे एक पुरुष बच्चे के लिए उसके पति की एक और शादी करेंगे। इसके बाद वह फिर से दुबई चली गई।

ई) आगे यह आरोप लगाया जाता है कि उसके देवर (बहनोई) को दुबई भेज दिया गया और उन्होंने सूचक को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि उसका पासपोर्ट और मोबाइल फोन छीन लिया गया और उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया गया और अपने पिता से बच्चे

का खर्च लेने के लिए भी कहा गया। इस बीच, वह फिर से गर्भवती हो गई और उसका पति चाहता था कि वह लिंग निर्धारण परीक्षण से गुजरें और जब उसने इनकार कर दिया तो 10.05.2013 को उसे बुरी तरह से पीटा गया, जहां उसके पति ने उसकी गर्दन दबाकर मारने की कोशिश की। और किसी तरह वह भागने में सफल रही और अबू धाबी में उसने मौसी और मौसा को सूचित किया जो आए और उसे ले गए।

च) यह आगे आरोप लगाया जाता है कि इसके बाद, उसके पति ने उसे अच्छे व्यवहार का आश्वासन दिया और इसलिए वह फिर से अपने पति के साथ शामिल हो गई, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी सास और ससुर भी वहां मौजूद थे और उन्होंने दहेज के लिए सूचक को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हालाँकि, वह 19.11.2013 को पटना आई और रामगढ़ में एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं आया। यह आगे आरोप लगाया गया है कि सूचक के माता-पिता अन्य रिश्तेदारों के साथ उसके पति के घर 13.08.2014 को गए थे, जहाँ उसके "नानदों" (साली) के दोनों पति पहले से मौजूद थे, जिन्होंने उनके साथ दुर्यवहार किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे सूचक को अपने भाई की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने उसे अपना सामान बाहर निकालने से रोकने के लिए बैंक लॉकर का संचालन बंद कर दिया है और जनवरी 2014 से उसके पति ने उस से बात करना बंद कर दिया है। और अप्रैल 2014 से उसने कोई भी खर्च देना बंद कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ अपने माता-पिता के घर में रह रही है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सभी याचिकाकर्ता वि०प०सं० 2 के ससुराल वाले हैं, जो वि०प०सं० 2 के दैनिक और घरेलू मामलों से कोई संबंध नहीं रखते हुए अलग रह रहे हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत सामान्य और सर्वव्यापी हैं।

4. यह शिकायत याचिका के माध्यम से उपलब्ध कथन से प्रस्तुत किया जाता है, जो कि प्राथमिकी का आधार है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और इस तरह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

5. वि०प०सं० 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स०लो०अ० ने विद्वान अधिवक्ता से विधिवत मदद पाकर आवेदन की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने घटना के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया। और इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, उनके खिलाफ मामला बनाया जाता है, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता अलग रह रहे हैं, जिनका वि०प० संख्या 2 के दैनिक और घरेलू मामलों से कोई संबंध नहीं है।

6. *गीता मेहरोत्रा और एक अन्य बनाम यू. पी. राज्य और एक अन्य (2012) 10 एस. सी. सी. 741 में प्रतिवेदित और प्रीति गुप्ता और एक अन्य बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य, (2010) 7 एस. सी. सी. 667 में प्रतिवेदित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिया है-* कि पति के रिश्तेदारों के खिलाफ एक स्पष्ट आरोप होना चाहिए और अस्पष्ट और सर्वव्यापी आरोप उन्हें मुकदमे की पीड़ा से गुजरने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

7. *मंजू राय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2015) 13 एस. सी. सी. 693 में प्रतिवेदित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि जब हमें न्यायालय द्वारा नीचे दिए गए दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है कि मृतक को दहेज की माँग को पूरा न करने के कारण उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था, हम इस निवेदन में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि अतिशयोक्ति के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जाता है।* **कंस राज बनाम पंजाब**

राज्य (2000) 5 एस. सी. सी. 207 में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि दहेज मृत्यु के मामलों में, हालाँकि, मृतक पत्नियों के ससुराल वालों के सभी रिश्तेदारों को शामिल करने की प्रवृत्ति विकसित हुई है, जो यदि हतोत्साहित नहीं की जाती है, तो वास्तविक दोषियों के खिलाफ भी अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित करने की संभावना है। अधिकतम लोगों के लिए दोषसिद्धि की मांग करने के लिए अपने अत्यधिक उत्साह और चिंता में, मृतक के माता-पिता को अन्य संबंधों को शामिल करने के लिए प्रयास करते हुए पाया गया है जो अंततः वास्तविक आरोपी के खिलाफ भी अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर देता है जैसा कि तत्काल मामले में प्रतीत होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और एक अन्य (2014) 8 एस. सी. सी. 273** में प्रतिवेदित मामले में यह अवलोकन किया कि हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस देश में विवाह की संस्था का बहुत सम्मान किया जाता है। भा०दं०स० की धारा 498-ए को एक महिला को उसके पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों उत्पीड़न के खतरे से निपटने के लिए स्पष्ट उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। यह तथ्य कि भा०दं०स० की धारा 498-ए एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, ने इसे उन प्रावधानों के बीच गर्व का एक संदिग्ध स्थान दिया है जिनका उपयोग असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियारों के रूप में किया जाता है। परेशान करने का सबसे आसान तरीका यह है कि पति और उसके रिश्तेदारों को इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया जाए। कई मामलों में, पति के बिस्तर पर पड़े दादा और दादी, दशकों से विदेश में रहने वाली उनकी बहनों को गिरफ्तार किया जाता है। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भा०दं०स० की धारा 498-ए और अन्य प्रासंगिक अपराधों के तहत अपराध में शामिल पत्नी के पति के ससुराल वालों और दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में अदालतों को आगाह किया है।

8. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, जहां याचिकाकर्ता वि०प०सं.2 के पति के दूर के रिश्तेदार हैं सामान्य और सर्वव्यापी आरोप का

सामना कर रहे हैं। तदनुसार, फुलवारी शरीफ थाना कांड संख्या 776/2014 से उत्पन्न होने वाली जी. आर. संख्या 7891/2014 में पारित की गई सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ दिनांक 23.07.2015 के संज्ञान के आक्षेपित आदेश को, जो विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना के समक्ष लंबित है, रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार किया जाता है।

9. इसलिए, इस आवेदन की अनुमति दी जाती है।

10. टी. सी. आर. (विचारण न्यायालय के अभिलेख), यदि कोई हो, तो इस फैसले की प्रति के साथ विद्वत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

(आपराधिक विविध वाद सं. 22404/2016)

11. शुरुआत में, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सं० 1, जो वि०प० सं० 2 के ससुर हैं, उनकी मृत्यु 18.03.2022 को हुई।

12. प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए, अब यह याचिका केवल याचिकाकर्ता 2 और 3 नामतः यूसुफ वहाब और फरजाना सामी, के लिए बनी हुई है जो वि०प०सं० 2 के भैसुर और जेठानी हैं ।

13. वर्तमान आवेदन को फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 776/2014 से उत्पन्न जी. आर. संख्या 7891/2014 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा पारित दिनांक 23.07.2015 के आदेश को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत संज्ञान लिया है।

14. अभियोजन पक्ष का मामला, विस्तार से वर्णित एक ज्वलंत मामला है, और यह सूचक निलोफर शहरयार की दिनांक 09.12.2014 की टंकण की गई लिखित बयान पर आधारित है, जिसे फुलवारीशरीफ थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि:

क) सूचक की शादी पटना में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार योनिस् वहाब के साथ हुई थी और 5 लाख नकद और 5 लाख की वस्तु दी गई थी, लेकिन उसके पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया क्योंकि दहेज के रूप में कोई कार नहीं दी गई थी और वे उसके माता-पिता का मजाक उड़ाते थे।

ख) यह आगे आरोप लगाया जाता है कि उसके दोनों "नानदों" की शादी एक ही कॉलोनी में हुई है और उन्होंने अपने "माइका" में बहुत समय बिताया और वे अन्य लोगों के साथ उसे ताना भी देते हैं। सूचक के ससुर और सास ने आभूषणों को लॉकर में रखने के बहाने गहने अपने कब्जे में ले लिए हैं।

ग) यह आगे आरोप लगाया जाता है कि सूचक का पति दुबई में काम करने वाला एक इंजीनियर है और उसने भी एक कार के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और एक दिन पूरे परिवार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जब उसने पति से यातना की घटना की शिकायत की गई तो उसने कुछ नहीं किया।

घ) यह भी आरोप लगाया गया है कि नवंबर 2010 में सूचक को दुबई ले जाया गया और वहां भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वह गर्भवती हो गई और वह पटना वापस आ गई जहाँ उसने 12.08.2011 को एक कन्या को जन्म दिया। लेकिन अस्पताल का खर्च उसके पिता ने वहन किया और उसके पति ने कुछ भी नहीं दिया और जब वह पटना आई तो उसे एक लड़की को जन्म देने के लिए ताना मारा गया और परिवार के सदस्यों ने कहा

कि वे एक पुरुष बच्चे के लिए उसके पति की एक और शादी करेंगे। इसके बाद वह फिर से दुबई चली गई।

ई) आगे यह आरोप लगाया जाता है कि उसके देवर (बहनोई) को दुबई भेज दिया गया और उन्होंने सूचक को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि उसका पासपोर्ट और मोबाइल फोन छीन लिया गया और उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया गया और अपने पिता से बच्चे का खर्च लेने के लिए भी कहा गया। इस बीच, वह फिर से गर्भवती हो गई और उसका पति चाहता था कि वह लिंग निर्धारण परीक्षण से गुजरें और जब उसने इनकार कर दिया तो उसे 10.05.2013 को बुरी तरह से पीटा गया, जहां उसके पति ने उसकी गर्दन दबाकर उसे मारने की कोशिश की और किसी तरह वह भागने में सफल रही और अबू धाबी में उसे मौसी और मौसा को सूचित किया जो आए और उसे ले गए।

च) यह आगे आरोप लगाया जाता है कि उसके बाद, उनके पति उसे अच्छे व्यवहार का आश्वासन दिया और इसलिए वह फिर से अपने पति के साथ शामिल हो गई, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी सास और ससुर भी वहां मौजूद थे और उन्होंने दहेज के लिए सूचक को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हालाँकि, वह 19.11.2013 को पटना आई और रामगढ़ में एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं आया। यह आगे आरोप लगाया गया है कि सूचक के माता-पिता अन्य रिश्तेदारों के साथ उसके पति के घर 13.08.2014 को गए थे, जहाँ उसके "नानदों" (साली) के दोनों पति पहले से मौजूद थे, जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे सूचक को अपने भाई की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने उसे अपना सामान बाहर निकालने से रोकने के लिए बैंक लॉकर का संचालन बंद कर दिया है और जनवरी 2014 से उसके पति ने उससे बात करना बंद कर दिया है और अप्रैल 2014 से उसने कोई भी खर्च देना बंद कर

दिया है और इसके परिणामस्वरूप वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ अपने माता-पिता के घर में रह रही है।

15. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदनकर्ता सं० 2 और 3 वि०प०सं० 2 के बड़े बहनोई और बहनें हैं, जो वि०प०सं० 2 के दैनिक और घरेलू मामलों से कोई संबंध नहीं रखते हुए अलग रह रहे हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत सामान्य और सर्वव्यापी हैं।

16. यह शिकायत याचिका के माध्यम से उपलब्ध कथन से प्रस्तुत किया जाता है, जो कि प्राथमिकी का आधार है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और इस तरह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

17. वि०प०सं० 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा विधिवत सहायता प्राप्त विद्वान स०लो०अ० ने आवेदन की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने घटना के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और इस तरह, प्रथम दृष्टया, उनके खिलाफ मामला बनाया गया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता अलग रह रहे हैं, जिनका वि०प०सं० 2 के दैनिक और घरेलू मामले से कोई संबंध नहीं है।

18. *गीता मेहरोत्रा और एक अन्य बनाम यू. पी. राज्य और एक अन्य रिपोर्ट (2012) 10 एस. सी. सी. 741 में प्रतिवेदित और प्रीति गुप्ता और एक अन्य बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य (2010) 7 एस. सी. सी. 667 में प्रतिवेदित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिया है कि पति के रिश्तेदारों के खिलाफ एक स्पष्ट आरोप होना चाहिए और अस्पष्ट और सर्वव्यापी आरोप उन्हें मुकदमे की पीड़ा से गुजरने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।*

19. *मंजू राय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2015) 13 एस. सी.*

सी. 693 में प्रतिवेदित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अवलोकन किया है कि हालांकि हमें अदालतों द्वारा दिए गए इस विचार में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है कि मृतक को दहेज की मांग को पूरा न करने के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, लेकिन हम इस निवेदन में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम अतिशयोक्ति के रूप में लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। *कंस राज बनाम पंजाब राज्य (2000) 5 एस. सी. सी. 207* में प्रतिवेदित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है। हालाँकि, यह कहा है कि दहेज मृत्यु के मामलों में मृत पत्नियों के ससुराल वालों के सभी रिश्तेदारों को शामिल करने की प्रवृत्ति विकसित हुई है, जो यदि हतोत्साहित नहीं की जाती है, तो वास्तविक दोषियों के खिलाफ भी अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित करने की संभावना है। अधिकतम लोगों के लिए दोषसिद्धि की मांग करने के लिए अपने अत्यधिक उत्साह और चिंता में, मृतक के माता-पिता को अन्य संबंधों को शामिल करने के लिए प्रयास करते हुए पाया गया है जो अंततः वास्तविक आरोपी के खिलाफ भी अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर देता है जैसा कि तत्काल मामले में प्रतीत होता है। *माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और एक अन्य मामले में रिपोर्ट दी (2014) 8 एस. सी. सी. 273* में प्रतिवेदित मामले में कहा कि हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस देश में विवाह की संस्था का बहुत सम्मान किया जाता है। भा०द०सं० की धारा 498-ए को एक महिला को उसके पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों परेशान होने के खतरे से निपटने के लिए स्वीकृत उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। यह तथ्य कि भा०द०सं० की धारा 498-ए एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, ने इसे उन प्रावधानों के बीच गर्व का एक संदिग्ध स्थान दिया है जिनका उपयोग असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियारों के रूप में किया जाता है। परेशान करने का सबसे आसान तरीका यह है कि पति और उसके रिश्तेदारों को इस प्रावधान

के तहत गिरफ्तार किया जाए। कई मामलों में, पति के बिस्तर पर पड़े दादा और दादी, दशकों से विदेश में रहने वाली उनकी बहनों को गिरफ्तार किया जाता है। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भा०द०सं० की धारा 498-ए और अन्य प्रासंगिक अपराधों के तहत अपराध में शामिल पत्नी के पति के ससुराल वालों और दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में अदालतों को आगाह किया है।

20. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं के मद्देनजर, जहां याचिकाकर्ता वि०पं० 2 के पति के दूर के रिश्तेदार हैं, सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों का सामना कर रहे हैं। तदनुसार, फूलवारीशरीफ थाना कांड सं० 776/2014 से उत्पन्न सी.आर. सं- 7891/2014 में पारित की गई सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ दिनांक 23.07.2015 के संज्ञान के आक्षेपित आदेश को, जो विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना के समक्ष लंबित हैं, को निरस्त और दरकिनार किया जाता है।

21. इसलिए, इस आवेदन की अनुमति दी जाती है।

22. टी. सी. आर. (विचारण न्यायालय के अभिलेख), यदि कोई हो, तो इस फैसले की प्रति के साथ विद्वत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायामूर्ति)

अर्चना/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।